कीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ–36, अंक – 4 | फरवरी 16–28, 2022 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ–8

चुनाव और हमारे सामने चुनौतियां

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव, कामरेड लाल सिंह के साथ मज़दूर एकता लहर (म.ए.ल.) का साक्षात्कार

म.ए.ल. : पंजाब की कुछ किसान यूनियनों ने विधानसभा चुनावों में भाग लेने के लिए एक नई पार्टी बनाई है। दूसरी किसान यूनियनों ने इसका विरोध किया है और उन्होंने इन चुनावों में भाग न लेने का फैसला किया है। इन गतिविधियों के बारे में आपका क्या विचार है?

लाल सिंह : पंजाब में अलग–अलग किसान यूनियनें इन चुनावों में अलग–अलग रास्ते अपना रही हैं। यह किसान आंदोलन के हित में बिल्कुल नहीं है।

देशभर की 500 से अधिक किसान यूनियनों का एक मंच पर एकजुट हो जाना, यह कई सालों की लगातार कोशिशों के बाद हासिल हुआ है। पंजाब की किसान यूनियनों ने दिल्ली की सरहदों पर साल भर चले आंदोलन को अगुवाई दी थी। यह कहा जा सकता है कि पंजाब और हरियाणा के किसानों के जुझारू संघर्ष की वजह से हम सभी रुकावटों को पार करके, दिल्ली की सरहदों पर पहुंच पाए। अब पंजाब की किसान यूनियनों के बीच में इस बंटवारे से हमारे एकजुट संघर्ष को नुक्सान हुआ है।

हाल के वर्षों में, हमारे पूरे संघर्ष के दौरान हुक्मरान सरमायदार वर्ग इस लाइन को बढ़ावा देता रहा है कि सत्ता में बैठी पार्टी को चुनाव द्वारा बदलकर, हमारी समस्याओं का हल हो सकता है। लेकिन कृषि व्यापार के उदारीकरण के कार्यक्रम को केंद्र में आई हर पार्टी की सरकार ने, पहले कांग्रेस पार्टी और फिर भाजपा, सब ने उसी कार्यक्रम को चलाया है। राज्य सरकारों पर बैठी दूसरी पार्टियों ने भी उसी कार्यक्रम को चलाया है। यानी कृषि व्यापार के उदारीकरण का कार्यक्रम हुक्मरान सरमायदार वर्ग का कार्यक्रम है, जिसकी अगुवाई टाटा, अंबानी, बिरला, अडानी और दूसरे इजारेदार पूंजीपति कर रहे हैं।

हजारों–हजारों किसान नवंबर 2020 को "दिल्ली चलो" के आह्वान पर, दिल्ली की सरहदों पर पहुंचे थे। क्या वे दिल्ली की सरहदों पर इसलिए आए थे कि वे चुनाव के ज़रिए सत्ता पर बैठी पार्टी को बदलना चाहते थे? नहीं। वे दिल्ली की सरहदों पर इसलिए आए क्योंकि वे अपनी ज़मीन और रोज़ी–रोटी को इजारेदार पूंजीपतियों, यानी कारपोरेट घरानों के चंगुल से बचाना चाहते थे।

दिल्ली की सरहदों पर आंदोलन के पूरे समय के दौरान, देश के हुक्मरान हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश करते रहे। उन्होंने यह झूठा प्रचार किया कि हमारे आंदोलन के अंदर आतंकवादी घुस गए हैं। उन्होंने पिछले साल गणतंत्र दिवस पर एक बहुत ही घिनावनी साज़िश रची थी, ताकि किसान आंदोलन को बदनाम किया जा सके। मगर किसानों की एकता और मजबूत होती गयी। देश के कोने–कोने से और विदेशों से किसान आंदोलन के लिए समर्थन बढ़ता रहा। अब चुनाव में भाग लेने के सवाल पर हमें बांटकर हुक्मरान वर्ग ने हमारी एकता को तोड़ने में क़ामयाबी हासिल कर ली है।

केंद्र सरकार के साथ कई बार वार्ता हुई जिसके दौरान सरकार ने हमारी मांगों को मानने से इंकार कर दिया। इसके बाद हुक्मरानों ने मुद्दे को और लंबा खींचने का फ़ैसला किया। किसानों के प्रतिनिधियों के साथ और बैठक न करके उन्होंने पूरे साल तक हमें सरहदों पर बैठा कर रखा। नवंबर 2021 में उन्होंने तीनों किसान क़ानूनों को रद्द करने का अपना फ़ैसला सुनाया, जो कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों के ठीक 3 महीने पहले था। यह सोच–समझकर, ऐसे समय पर किया गया ताकि सभी आंदोलनकारी अपने गांवों को वापस चले जाएंगे और फिर आपस में होड़ लगाने वाली इन सरमायदार पार्टियों के चुनाव अभियानों में फंस जाएंगे।

चुनाव में क्या कार्यनीति अपनानी चाहिए, इस सवाल पर बंट जाना हमारी एक बहुत बड़ी भूल है। हमें इस बंटवारे पर काबू पाने और अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए अपने एकजुट संघर्ष को आगे बढ़ाने का रास्ता निकालना होगा।

अगर हम सब, जो मज़दूरों और किसानों की हकूमत को स्थापित करने के रणनीतिक लक्ष्य को मानते हैं, स्वतंत्र और खुलेआम तरीक़े से सभी संभव रास्तों पर चर्चा करते हैं तो हम आगे की कार्यनीति के बारे में एक सांझा फ़ैसला ले सकते हैं। हमारी कार्यनीति वर्ग संघर्ष की वर्तमान स्थिति के मूल्यांकन पर आधारित होनी चाहिए और उससे हमारा रणनैतिक लक्ष्य पूरा होना चाहिए।

म.ए.ल. : वर्तमान समय में चल रहे वर्ग संघर्ष की हालत के बारे में आपका क्या मूल्यांकन है?

लाल सिंह : ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहे हैं जब मज़दूर वर्ग, किसानों और दूसरे छोटे उत्पादकों के ख़िलाफ़ इजारेदार पूंजीपति वर्ग का हमला असहनीय होता जा रहा है। अपने गिरते हालातों के ख़िलाफ़, मेहनतकश लोगों में बहुत गुस्सा है।

ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इन हालातों का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, हालांकि उनके ऊपर 'सामाजिक दूरी' बनाए रखने की पाबंदियां लगाई गई हैं। यह हालात न सिर्फ अपने देश में है, बल्कि अमरीका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस और बहुत सारे अगुवा पूंजीवादी देशों में भी है।

हमारे देश में 2016 में नोटबंदी, उसके बाद 2017 में वस्तु और सेवा कर (जी.एस.टी.), इन दोनों की वजह से करोड़ों–करोड़ों नौकरियां ख़त्म हो गयीं और बहुत सारे छोटे उद्योग ख़त्म हो गये। इसकी वजह से हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार पूंजीपतियों के हाथों में बेशुमार धन इकट्ठा हो गया।

2020 से, बार–बार लॉक डाउन लगने के कारण, भारी संख्या में नौकरियां ख़त्म हो गई हैं और नौकरी–शुदा मज़दूरों का शोषण बहुत तेज़ हो गया है। उतने ही वेतन या उससे कम वेतन पर ज्यादा घंटों तक काम करना – यह एक के बाद दूसरे उद्योग में स्वाभाविक हो रहा है।

मज़दूर वर्ग की असुरक्षा बहुत बढ़ गई है। पूंजीवादी मालिक इस हालत का फ़ायदा उठाकर अपने कर्मचारियों से कम से कम वेतन पर ज्यादा से ज्यादा काम निचोड़ रहे हैं। घर से काम करने वाले मज़दूरों को हर रोज़ पहले से ज्यादा घंटे काम करना पड़ रहा है।

मज़दूरों के शोषण के तीव्र हो जाने से, मज़दूरों का गुस्सा बहुत बढ़ गया है। उदारीकरण कार्यक्रम के ख़िलाफ़ तथा मज़दूर–विरोधी श्रम संहिता (लेबर कोड) के ख़िलाफ़ एकता बढ़ रही है। बड़े–बड़े उद्योगों और सेवाओं में मज़दूरों की यूनियनें अपने पार्टीवादी संबंधों को एक तरफ छोड़कर, संघर्ष में एकजुट हो रही हैं।

उदारीकरण कार्यक्रम की वजह से किसानों में बड़े पैमाने पर तबाही फैल गई है और फैल रही है। कृषि को ज्यादा से ज्यादा हद तक विश्व बाज़ार के साथ जोड़ा जा रहा है। कृषि के लिए राज्य का समर्थन कम किया जा रहा है और कृषि की लागत की वस्तुओं तथा कृषि उत्पादों के बाज़ार पर इजारेदार पूंजीवादी कंपनियों का विस्तार हो रहा है। इसकी वजह से किसानों की शुद्ध आमदनी बहुत घट गई है। ख़रीदी के दाम लागत की क़ीमत से बहुत कम हो गए हैं, जिसकी वजह से करोड़ों–करोड़ों किसान भारी क़र्ज़े में डूबे हुए हैं। जो अपने क़र्ज़े नहीं चुका पा रहे हैं, उनके सामने अपनी ज़मीन खोने का ख़तरा है।

अपनी हालतों के इस तरह बिगड़ जाने की वजह से मज़दूरों, किसानों और दूसरे मध्यम श्रेणी के लोगों में बहुत गुस्सा और असंतोष है। विरोध–प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरने वालों की बढ़ती संख्या से यह साफ दिख रहा है। यही वजह है कि आज मज़दूर यूनियनें और किसान यूनियनें सांझी मांगों पर एकजुट हो रही हैं।

फरवरी–मार्च 2022 के दौरान जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उनका फ़ायदा उठाकर सरमायदार मज़दूरों, किसानों और दूसरे दबे–कुचले लोगों के विरोध को इन राज्यों में किसी संसदीय विकल्प के पीछे लामबंध करने की कोशिश कर रहा है।

इसी तरीक़े से सरमायदार अपनी हुकूमत को बरकरार रखते हैं। लोगों के ख़िलाफ़ हमले को एक पार्टी अगुवाई देती है जबकि दूसरी पार्टियां लोगों के गुस्से को उन दायरों के अंदर सीमित रखती हैं जो सरमायदार को मंजूर है।

म.ए.ल. : संसदीय विकल्प को विकसित करके सरमायदारों की हुकूमत को बरकरार रखने के इस तरीक़े के बारे में क्या आप और विस्तार में समझा सकते हैं?

लाल सिंह : हुक्मरान वर्ग अपने बीते अनुभव से अच्छी तरह जानता है कि जब भी वह मज़दूरों और किसानों की रोज़ी–रोटी

शेष पृष्ठ 2 पर

अगर हम सब, जो मज़दूरों और किसानों की हकूमत को स्थापित करने के रणनीतिक लक्ष्य को मानते हैं, स्वतंत्र और खुलेआम तरीक़े से सभी संभव रास्तों पर चर्चा करते हैं तो हम आगे की कार्यनीति के बारे में एक सांझा फ़ैसला ले सकते हैं। हमारी कार्यनीति वर्ग संघर्ष की वर्तमान स्थिति के मूल्यांकन पर आधारित होनी चाहिए और उससे हमारा रणनैतिक लक्ष्य पूरा होना चाहिए।

अंदर पढ़ें

- किसान आंदोलन की वर्तमान स्थिति और आगे के रास्ते पर एम.ई.सी. की
  - छठी मीटिंग 4
  - सातवीं मीटिंग 4
- जस्टिस अजीत सिंह बैंस के निधन पर गहरा शोक 5
- महाराष्ट्र में बिजली के निजीकरण का विरोध 7
- कोरोना महामारी के दौरान मज़दूरों का बढ़ता शोषण 7

चुनाव और हमारे सामने चुनौतियां (पृष्ठ 1 का शेष)

और अधिकारों पर कोई बड़ा हमला करता है तो यह लाज़मी है कि जन–विरोध बहुत बढ़ जायेगा। तो पूंजीपति वर्ग अपनी भरोसेमंद पार्टियों में से किसी एक को दबे–कुचले लोगों के मसीहा के रूप में आगे लाता है, ताकि लोगों के विरोध को मौजूदा संसदीय व्यवस्था के दायरों के अंदर ही सीमित रखा जा सके।

बीते 8 वर्षों से सरमायदार ने भाजपा को देश की मेहनतकश बहुसंख्या के ख़िलाफ़ एक के बाद दूसरे भयानक हमले करने का दायित्व दे रखा है। इसके साथ–साथ, सरमायदार यह भी कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा के भरोसेमंद विकल्प के रूप में किसी संसदीय विपक्ष को विकसित किया जाये।

जब मनमोहन सिंह की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी की सरकार बहुत बदनाम हो गयी थी, तो सरमायदार ने भाजपा को एक ऐसी पार्टी के रूप में बढ़ावा देना शुरू किया, जो केंद्र में भ्रष्टाचार–हीन और मजबूत सरकार दिला सकती है। 2012 और 2013 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के ज़रिये, भाजपा को केंद्र सरकार में तथा आम आदमी पार्टी को दिल्ली सरकार में लाया गया था।

बीते 8 वर्षों से सरमायदार ने भाजपा को देश की मेहनतकश बहुसंख्या के ख़िलाफ़ एक के बाद दूसरे भयानक हमले करने का दायित्व दे रखा है। इसके साथ–साथ, सरमायदार यह भी कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा के भरोसेमंद विकल्प के रूप में किसी संसदीय विपक्ष को विकसित किया जाये।

हमें यह याद रखना चाहिए कि किस प्रकार 1970 के दशक में सरमायदार ने क्रांतिकारी संकट को टाला था।

26 जून, 1975 को इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। एक ही झटके में मज़दूरों, किसानों और अधिकतम लोगों के सभी लोकतांत्रिक अधिकार और नागरिक अधिकार छीन लिए गए थे।

वह ऐसा समय था जब जनता के विरोध संघर्ष चरम सीमा तक पहुंच गए थे। 1974 में लाखों–लाखों रेल मज़दूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे, जिसकी वजह से पूरी अर्थव्यवस्था ठप्प हो गई थी। देशभर में छात्र बड़ी से बड़ी संख्या में निकल कर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लोग क्रांति के लिए तरस रहे थे।

आपातकाल की घोषणा के पीछे मुख्य उद्देश्य था क्रांति के ख़तरे को दूर करना। राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा के नाम पर, मज़दूरों, किसानों, सभी क्रांतिकारियों और सरकार की आलोचना करने वाले सभी लोगों पर वहशी दमन की मुहीम चलायी गयी।

ट्रेड यूनियनों के नेताओं और कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों को बड़ी संख्या में गिरफ़्तार किया गया। इसके अलावा, इंदिरा गांधी की सरकार ने संसदीय विपक्ष के कई जाने–माने नेताओं को भी गिरफ़्तार किया। इनमें शामिल थे जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेई, चरण सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव। इन नेताओं को गिरफ़्तार करके, इन्हें सभी लोगों के जनतांत्रिक अधिकारों के योद्धाओं के रूप में पेश किया गया।

सरमायदारों की कई विपक्षी पार्टियों ने लोकतंत्र की पुनः स्थापना का नारा दिया। उन्होंने 1977 के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए एक साथ मिलकर जनता पार्टी का गठन किया। सरमायदार ने कांग्रेस पार्टी के स्थान पर जनता पार्टी की सरकार स्थापित की और शोषण की अपनी हकूमत को बरकरार रखा। इस प्रकार से क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए संघर्ष को गुमराह कर दिया गया।

आपातकाल के दौरान कई ऐसे नेताओं को लोकतंत्र के रक्षक के रूप में उछाला गया था। उनमें से कई बाद में मुख्यमंत्री बन गए। कुछ तो देश के प्रधानमंत्री भी बन गए। उनमें से एक हिस्से ने भाजपा का गठन किया, जिसे 1980 के दशक में हुक्मरान वर्ग ने कांग्रेस पार्टी के प्रमुख विपक्ष के रूप में बढ़ावा दिया।

किसी क्रांतिकारी पार्टी को सरमायदार शासन के चलते चुनाव में भाग लेना चाहिए या नहीं और फिर किस रूप में भाग लेना चाहिए, यह कोई नया सवाल नहीं है। इस सवाल पर हमारे देश में कम्युनिस्ट आंदोलन बहुत लंबे समय से त्रस्त रहा है।

आपातकाल की घोषणा और उसके बाद लोकतंत्र की पुनः स्थापना का आंदोलन, ये दोनों सरमायदार की योजना के हिस्से थे। उनका मक़सद था लोगों को बांटना और गुमराह करना, क्रांति को रोकना और मौजूदा संसदीय व्यवस्था पर लोगों के भरोसे को बनाये रखना।

हाल के वर्षों में मज़दूरों, किसानों और दूसरे मेहनतकशों के ख़िलाफ़ आर्थिक और राजनीतिक हमले को भाजपा ने अगुवाई दी है। कांग्रेस पार्टी और उसके साथ–साथ, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और दूसरी विपक्ष की पार्टियां मज़दूरों और किसानों के असंतोष का फ़ायदा उठाकर, खुद को भाजपा के भरोसेमंद संसदीय विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही हैं।

किसी क्रांतिकारी पार्टी के लिए न तो हर चुनाव में भाग लेना आवश्यक है और न ही हर चुनाव से परे रहने या चुनाव का बहिष्कार करना उसके लिए बाध्यकारी है।

सरमायदार जन–विरोध का फ़ायदा उठाकर किसी ऐसे संसदीय विकल्प को तैयार करने की कोशिश करते हैं, ताकि जब वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी जनता की नज़रों में बहुत ज्यादा बदनाम हो जाती है तब उस विकल्प को सत्ता पर लाया जा सकता है। बीते कुछ वर्षों से पूंजीपति किसान आंदोलन का इस्तेमाल करके भाजपा का संसदीय विकल्प विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं।

बीते समय में कई बार ऐसा हुआ है कि चुनाव के बाद पक्ष और विपक्ष की पार्टियों ने एक दूसरे का स्थान ले लिया है। कांग्रेस पार्टी की संप्रग सरकार और भाजपा की राजग सरकार ने केंद्र में एक दूसरे की जगह ले ली है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी और अकाली दल ने एक दूसरे की जगह ले ली है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भाजपा, कांग्रेस, सपा और बसपा ने एक दूसरे की जगह ले ली है। मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड में भाजपा ने कांग्रेस पार्टी की जगह ले ली है।

हालांकि सत्तारूढ़ पार्टी बदल गई है, पर राजनीतिक सत्ता के चरित्र में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है। सरकार के कार्यक्रम और आर्थिक विकास की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

उदारीकरण और निजीकरण के ज़रिए हिन्दोस्तान की पूंजी और उत्पादन के भूमंडलीकरण का कार्यक्रम बीते 3 दशकों में प्रत्येक सरकार का मार्गदर्शक रहा है। मुट्ठीभर अति अमीर तबके की अमीरी बढ़ती रही है जबकि मेहनतकश जनसमुदाय ग़रीब ही रहा है और ज्यादा से ज्यादा हद तक क़र्ज़े में डूबता जा रहा है।

इस व्यवस्था के अंदर लोग कोई भी फ़ैसला नहीं कर सकते हैं। टाटा, अंबानी, बिरला, अडानी और सरमायदारों की अगुवाई करने वाले दूसरे इजारेदार पूंजीपति ही सारे फ़ैसले करते हैं। वे ही यह फ़ैसला करते हैं कि किसी समय पर सरकार चलाने की ज़िम्मेदारी किस को सौंपी जाएगी।

सरमायदार ने अपने अत्यधिक धनबल और साथ–साथ अपनी भरोसेमंद पार्टियों के बाहुबल, बूथ कैप्चर करने में उनकी कुशलता, आदि का इस्तेमाल करके हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि पूंजीपतियों की पसंद की पार्टी ही सरकार बना पाती है। अब धनबल और बाहुबल के साथ–साथ सरमायदार मीडिया के बल का भी इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ–साथ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के साथ छेड़छाड़ करने की अपनी क्षमता का भी।

चुनावी दंगल में मुख्य पार्टियों के प्रचार अभियानों को पूंजीपति वर्ग से खूब सारा पैसा मिलता है। वे सब मिलकर इस भ्रम को बरकरार रखते हैं कि मज़दूरों और किसानों की खुशहाली इस बात पर निर्भर है कि सरकार किस पार्टी की बनती है और यह सरकार कौन सी नीतियां अपनाती है।

पर सच तो यह है कि जब तक सरमायदार की सत्ता क़ायम है और आर्थिक व्यवस्था पूंजीवादी है, तब तक एक ही कार्यक्रम लागू होता है, जैसा कि इस समय हो रहा है। जब तक बड़े पैमाने के उत्पादन के साधन पूंजीपतियों की निजी संपत्ति बने रहते हैं, तब तक उत्पादन का लक्ष्य उनके मुनाफ़ों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना ही रहेगा।

म.ए.ल. : चुनावों में क्रांतिकारी पार्टियों और जन संगठनों की क्या भूमिका होनी चाहिए? क्या हमें चुनावों में भाग लेना चाहिए या उनका बहिष्कार करना चाहिए?

लाल सिंह : किसी क्रांतिकारी पार्टी को सरमायदार शासन के चलते चुनाव में भाग लेना चाहिए या नहीं और फिर किस रूप में भाग लेना चाहिए, यह कोई नया सवाल नहीं है। इस सवाल पर हमारे देश में कम्युनिस्ट आंदोलन बहुत लंबे समय से त्रस्त रहा है।

पर यह एक कार्यनीतिगत सवाल है, जिसका यह मतलब है कि इसके लिए कोई स्थाई फार्मूला नहीं हो सकता। किसी क्रांतिकारी पार्टी के लिए न तो हर चुनाव में भाग लेना आवश्यक है और न ही हर चुनाव से परे रहने या चुनाव का बहिष्कार करना उसके लिए बाध्यकारी है।

कांग्रेस और भाजपा जैसी सरमायदार पार्टियों के लिए, चुनाव वह मुख्य ज़रिया है जिसके सहारे वे वर्तमान व्यवस्था के अंदर अपनी–अपनी पार्टियों के स्थान और प्रभाव को बनाकर रख सकती हैं और बढ़ा सकती हैं। जो भी पार्टी वर्तमान व्यवस्था के साथ घुलमिल जाती है और एक चुनावी मशीन बतौर खुद को विकसित करती है, उसका यही नज़रिया बन जाता है।

कम्युनिस्ट पार्टी का यह नज़रिया है कि चुनाव वर्ग संघर्ष का सिर्फ एक अखाड़ा है। राजनीतिक सत्ता के लिए मज़दूरों और किसानों के संघर्ष में चुनाव मुख्य अखाड़ा नहीं है।

कम्युनिस्ट पार्टी को चुनावों में उस रूप से नहीं भाग लेना चाहिए, जिस रूप से सरमायदार पार्टियां भाग लेती हैं। अगर हम यह वादा करें कि हमारी पार्टी की सरकार बनने से मज़दूरों और किसानों की समस्याएं हल हो जाएंगी तो हम भ्रम फैला रहे हैं। हम सरमायदारों के उसी प्रचार में योगदान दे रहे हैं कि मज़दूरों और किसानों के हित वर्तमान व्यवस्था के अंदर ही हल हो सकते हैं, कि राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन की कोई ज़रूरत नहीं है।

लेकिन ऐतिहासिक अनुभव हमारी पार्टी और कम्युनिस्ट आंदोलन की कई और पार्टियों के उस निष्कर्ष की पुष्टि करता है कि इस व्यवस्था के चलते, चुनावों से सत्ता पर बैठे वर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। परंतु इससे इस निष्कर्ष पर पहुंचना गलत होगा कि किसी क्रांतिकारी पार्टी को कभी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहिए।

जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, चुनाव वर्ग संघर्ष का एक अखाड़ा है। सरमायदार इस चुनावी अखाड़े का इस्तेमाल करके मेहनतकश लोगों को धोखा देते हैं और गुमराह करते हैं और सांझे दुश्मन के ख़िलाफ़ उनकी एकता को कमजोर और नष्ट करते हैं। अगर क्रांतिकारी इस अखाड़े से दूर रहेंगे तो मज़दूर और किसान सरमायदार के विचारधारात्मक हमले के बेसहारे शिकार बन जायेंगे।

चुनाव एक ऐसा मौका होता है जब ज्यादा से ज्यादा लोग राजनीति पर चर्चा करने लगते हैं। सरमायदार इस चर्चा को सबसे घटिया और निचले स्तर पर रखने की कोशिश करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का काम है कि राजनीतिक चर्चा और लोगों की राजनीतिक जागरुकता को सबसे ऊंचे स्तर तक ले जाया जाए।

हाल के वर्षों में मज़दूर और किसान पहले से कहीं ज्यादा जागरुक हो गए

हैं कि उनके मुख्य और सांझा दुश्मन इजारेदार पूंजीपति हैं। पांचों राज्यों के चुनाव अभियानों का इस्तेमाल करके सरमायदार मज़दूरों और किसानों की इस बढ़ती जागरुकता को कमजोर और नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।

चुनाव अभियानों का इस्तेमाल करके सरमायदार लोगों को प्रतिस्पर्धी सरमायदार पार्टियों के बीच तथाकथित घमासान लड़ाई में इस या उस का पक्ष लेने के जाल में फंसा देते हैं। कम्युनिस्टों का काम है कि लोगों में यह जागरुकता लाई जाए कि असली घमासान लड़ाई पूंजीपति वर्ग और श्रमजीवी वर्ग के बीच में है। असली लड़ाई पूंजीवाद की पुरानी व्यवस्था जो बड़े खतरनाक तरीक़े से संकटग्रस्त हो गयी है, और समाजवाद की नई व्यवस्था जो जन्म लेने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है, इन दोनों के बीच में है।

हमारा काम और हर प्रगतिशील ताक़त का काम है क्रांतिकारी विकल्प के इर्द–गिर्द लोगों को लामबंध करना और इस प्रकार, सरमायदार की इन धोखेबाज़ तरक़ीबों को नाक़ामयाब करना।

हमें एक ही कार्यक्रम को लेकर, यानी सरमायदार के कार्यक्रम के क्रान्तिकारी विकल्प के लिए हर प्रकार का संघर्ष करना होगा – सड़कों पर, चुनावों के दौरान और निर्वाचित विधानसभाओं के अंदर भी।

म.ए.ल. : सरमायदार के कार्यक्रम के क्रांतिकारी विकल्प के बारे में आप थोड़ा और समझा सकते हैं?

लाल सिंह : कम्युनिस्ट और मज़दूर यूनियनों तथा किसान यूनियनों के आपस बीच में कुछ फौरी आर्थिक क़दमों के बारे में काफी हद तक सहमति है। इन आर्थिक क़दमों में शामिल है एक सर्वव्यापक सार्वजनिक ख़रीदी व्यवस्था जिसमें सभी कृषि उत्पाद शामिल होंगे और जो एक सर्वव्यापक सार्वजनिक वितरण व्यवस्था से जुड़ा हुआ होगा, जिसमें उपभोग की सभी आवश्यक वस्तुएं शामिल होंगी। इनमें निजीकरण कार्यक्रम को फ़ौरन ख़त्म करने की मांग है, मज़दूर–विरोधी श्रम संहिता को रद्द करने और ठेकेदारी मज़दूरी की प्रथा को ख़त्म करने की मांग भी शामिल है।

अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्यक्रम का मक़सद है अर्थव्यवस्था की मौलिक दिशा को बदल देना। इस समय अर्थव्यवस्था मुट्ठी भर अति–धनवानों के मुनाफ़ों को बढ़ाने की दिशा में चलायी जाती है। उसे बदलकर, सामाजिक उत्पादन को मेहनतकश आबादी की बढ़ती भौतिक और सांस्कृतिक ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में आयोजित करना होगा। विदेश व्यापार, घरेलू थोक व्यापार और बड़े पैमाने पर खुदरा व्यापार और इसके साथ–साथ, बैंकिंग, लोहा–इस्पात उद्योग, ऊर्जा तथा कुछ और रणनीतिक उद्योगों को फ़ौरन निजी मुनाफ़ाखोर कंपनियों के हाथों से हड़प लेना होगा और समाज के नियंत्रण में लाना होगा। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण को एक सर्व व्यापक सामाजिक योजना के अनुसार करना होगा। अगर कोई पूंजीपति इस सामाजिक योजना के ख़िलाफ़ काम करते हैं तो राज्य को उनकी संपत्ति को अपने हाथों में ले लेना होगा।

राजनीति के क्षेत्र में हमारे कार्यक्रम का मक़सद है लोकतंत्र की ऐसी व्यवस्था की स्थापना करना जिसमें फ़ैसले लेने की ताक़त व्यापक जनता के हाथों में होगी।

आज मज़दूरों और किसानों के गुस्से का एक मुख्य कारण यह है कि उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ऐसे क़ानून बनाते हैं और ऐसी नीतियां लागू करते हैं जो मज़दूरों और किसानों के हितों के बिलकुल ख़िलाफ़ हैं। राजनीतिक क्षेत्र में कौन से परिवर्तन लाने होंगे ताकि मज़दूर और किसान खुद सत्ता में आए? हमें इन परिवर्तनों के लिए आंदोलन चलाना होगा।

अगर हम एक ऐसा कार्यक्रम पेश करें जिसमें सभी सही आर्थिक क़दम शामिल हों मगर राजनीतिक व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन लाने की ज़रूरत को न उठाया जाए, तो हम सरमायदारों की हुकूमत की वर्तमान व्यवस्था को मजबूत करने में योगदान दे रहे होंगे। मज़दूरों और किसानों को उसी पुराने भ्रम में फंसाकर रखने में योगदान दे रहे होंगे, कि सत्ता में पार्टी को बदलने से आर्थिक नीति और कार्यक्रम में गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है।

जब कोई क्रांतिकारी पार्टी चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार को खड़ा करती है या उसका समर्थन करती है, चाहे राज्य स्तर पर हो या केंद्र स्तर पर, तो उसे मौजूदा संसदीय व्यवस्था और उसकी राजनीतिक प्रक्रिया में खामियों पर रोशनी डालनी पड़ेगी। हमें उन परिवर्तनों के लिए आंदोलन चलाना पड़ेगा जो श्रमजीवी लोकतंत्र की वैकल्पिक व्यवस्था के अनुकूल हैं और जो मेहनतकश बहुसंख्या को सत्ता में लाने के लिए ज़रूरी हैं।

संविधान के पूर्व कथन में यह गलत धारणा पेश की गई है कि "हम, लोग" फ़ैसले लेते हैं। लेकिन हिन्दोस्तानी गणराज्य की हक़ीक़त यही है कि सिर्फ निर्वाचित प्रतिनिधि ही फ़ैसले ले सकते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि सरमायादारों के तंग हितों के प्रतिनिधि होते हैं, न कि मेहनतकश बहुसंख्या के हितों के प्रतिनिधि।

क़ानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानसभाओं में संकेंद्रित है। चाहे श्रम क़ानून हो या कृषि क़ानून, इन क़ानूनों पर फ़ैसला लेने में मज़दूरों और किसानों की कोई भूमिका नहीं होती है। इस स्थिति को बदलना होगा। लोगों को न सिर्फ वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, बल्कि क़ानूनों और नीतियों को प्रस्तावित करने या ख़ारिज़ करने का अधिकार भी होना चाहिए।

फ़ैसले लेने की ताक़त ऐसे राजनीतिक नेताओं के हाथों में संकेंद्रित है, जो सरमायदारों और अपनी–अपनी पार्टियों के हाई कमान के प्रति जवाबदेह होते हैं, न कि उस जनता के प्रति जिसके प्रतिनिधि होने का वे दावा करते हैं। संविधान इसे वैधता देता है। इसे बदलना होगा। मतदाताओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच में संबंध को बदलना होगा।

लोगों को फ़ैसले लेने की ताक़त को निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में पूरा–पूरा नहीं सौंप देना चाहिए। लोगों को अपने प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहराने के अधिकार को अपने हाथों में रखना चाहिए। लोगों को निर्वाचित प्रतिनिधि को किसी भी समय वापस बुलाने के अधिकार को अपने हाथ में रखना चाहिए।

हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था अंग्रेज सरमायदार राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित है, जिसे उपनिवेशवादी हुक्मरानों ने विदेश से लाकर हिन्दोस्तान की धरती पर स्थापित किया था। इस सिद्धांत का यह आधार है कि हमारे देश के लोग खुद अपना शासन करने के क़ाबिल नहीं हैं और इसीलिए हमें अपने ऊपर शासन करने के लिए श्वेत पुरुषों की ज़रूरत है। आज भी यही सिद्धांत लागू है। फ़र्क़ सिर्फ इतना है कि श्वेत पुरुष की जगह पर ऐसे हिन्दोस्तानी नेता और ऐसी पार्टियां आ गई हैं, जिन्हें पूरा प्रशिक्षण दिया गया है कि वह सब कुछ कहें जो लोग सुनना चाहते हैं और करें ठीक वैसा ही जो सबसे धनवान पूंजीपतियों के हित में हो।

उपनिवेशवाद–विरोधी संघर्ष के दौरान, बीसवीं सदी के पहले पचास सालों में बरतानवी हुक्मरानों ने एक राजनीतिक प्रक्रिया को विकसित किया था जिसमें प्रादेशिक वैधानिक निकायों में हिन्दोस्तानी पूंजीपतियों और जागीरदारों के प्रतिनिधियों को कुछ स्थान दिए गए थे। विशिष्ट लोगों को चुनकर सत्ता में शामिल करने की यह प्रक्रिया उपनिवेशवाद के बाद की अवधि में भी जारी रही है। आज इजारेदार पूंजीपति अलग–अलग इलाकों, समुदायों और जातियों से विशिष्ट लोगों को सत्ता में शामिल करते हैं। अधिकतम लोगों को सत्ता से बाहर रखा जाता है।

संविधान सभा ने सर्वव्यापक प्रौढ़ मताधिकार की लोकप्रिय मांग को मानने का फ़ैसला किया था, जबकि इससे पूर्व बरतानवी हुकूमत के दौरान सीमित मताधिकार हुआ करता था। लेकिन बीते 72 वर्षों के अनुभव से यह साफ हो जाता है कि सर्वव्यापक प्रौढ़ मताधिकार से यह सुनिश्चित नहीं होता कि लोगों के हाथ में सत्ता है।

चुनाव के उम्मीदवारों का चयन करने में अधिकतम लोगों की कोई भूमिका नहीं होती है। प्रतिस्पर्धी पार्टियों के नेता धर्म और जाति के आधार पर अपने उम्मीदवारों का चयन करते हैं। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था, लोगों से कहा जाता है कि आप यह चुनो कि "हुक्मरान वर्ग का कौन–सा सदस्य संसद में आपके हितों के ख़िलाफ़ आप का प्रतिनिधित्व करेगा और आपका दमन करेगा"।

जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, चुनाव वर्ग संघर्ष का एक अखाड़ा है। सरमायदार इस चुनावी अखाड़े का इस्तेमाल करके मेहनतकश लोगों को धोखा देते हैं और गुमराह करते हैं और सांझे दुश्मन के ख़िलाफ़ उनकी एकता को कमजोर और नष्ट करते हैं। अगर क्रांतिकारी इस अखाड़े से दूर रहेंगे तो मज़दूर और किसान सरमायदार के विचारधारात्मक हमले के बेसहारे शिकार बन जायेंगे।

चुनाव एक ऐसा मौका होता है जब ज्यादा से ज्यादा लोग राजनीति पर चर्चा करने लगते हैं। सरमायदार इस चर्चा को सबसे घटिया और निचले स्तर पर रखने की कोशिश करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का काम है कि राजनीतिक चर्चा और लोगों की राजनीतिक जागरुकता को सबसे ऊंचे स्तर तक ले जाया जाए।

चुनाव अभियानों के लिए निजी धन के इस्तेमाल के कारण चुनावी लड़ाई बहुत असमान हो जाती है। कम्युनिस्ट पार्टियों, किसानों या दूसरी मध्यवर्ती श्रेणियों के उम्मीदवारों की तुलना में सरमायदारों की पार्टियों के उम्मीदवारों को बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। धनबल में बहुत बड़ा अंतर होता है और टेलीविजन पर प्रचार में भी बहुत अंतर होता है।

एक सांझे चुनाव चिन्ह पर अलग–अलग निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों को खड़ा करने का अधिकार सिर्फ उन संगठनों के पास होता है जो रिप्रेजेंटेशन आफ पीपल्स एक्ट के तहत खुद को राजनीतिक पार्टी बतौर रजिस्टर करते हैं। यह अधिकार जन संगठनों को नहीं दिया जाता है। मज़दूर यूनियन और किसान यूनियन उम्मीदवारों को खड़ा करके एक सांझा चुनाव चिन्ह नहीं मांग सकते हैं। जो सभी उम्मीदवार किसी रजिस्टर्ड पार्टी द्वारा नामांकित नहीं होते हैं, उन्हें "निर्दलीय उम्मीदवार" घोषित कर दिया जाता है, जैसे कि उनका कोई संगठन ही नहीं है।

हर एक राजनीतिक सत्ता एक राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित होती है जो उस सत्ता को और उसके गठन के तौर–तरीक़ों को जायज़ ठहराता है। मज़दूरों और किसानों के लोकतंत्र की नई व्यवस्था का भी अपना राजनीतिक सिद्धांत होना पड़ेगा। उस सिद्धांत के कुछ आवश्यक तत्व इस प्रकार होंगे : (1) संप्रभुता सभी लोगों की होगी और (2) सभी की सुख–सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य का फ़र्ज़ होगा।

राजनीतिक पार्टी की भूमिका लोगों के नाम पर शासन करना नहीं होनी चाहिए, बल्कि लोगों को वह नज़रिया और संगठित अगुवा जागरुकता दिलाना, जिससे लोग खुद अपना शासन कर सकें। मतदाताओं को चुनाव के लिए उम्मीदवारों

अगर हम एक ऐसा कार्यक्रम पेश करें जिसमें सभी सही आर्थिक क़दम शामिल हों मगर राजनीतिक व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन लाने की ज़रूरत को न उठाया जाए, तो हम सरमायदारों की हुकूमत की वर्तमान व्यवस्था को मजबूत करने में योगदान दे रहे होंगे। मज़दूरों और किसानों को उसी पुराने भ्रम में फंसाकर रखने में योगदान दे रहे होंगे, कि सत्ता में पार्टी को बदलने से आर्थिक नीति और कार्यक्रम में गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है।

शेष पृष्ठ 6 पर

किसान आंदोलन : वर्तमान स्थिति और आगे की दिशा

मज़दूर एकता कमेटी द्वारा आयोजित छठी मीटिंग

लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी के बलदेव सिंह सिरसा ने कहा कि "किसानों के बीच माहौल बहुत ही आशावादी है..."। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा सभी फ़सलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) और किसानों की अन्य मांगों के लिए संघर्ष को तब तक जारी रखेगा, जब तक कि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। "किसान आंदोलन : वर्तमान स्थिति और आगे की दिशा" के विषय पर मज़दूर एकता कमेटी (एम.ई.सी.) द्वारा आयोजित इस छठी मीटिंग में श्री बलदेव सिंह सिरसा मुख्य वक्ता थे। लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी, संयुक्त किसान मोर्चा (एस.के.एम.) के सदस्य संगठनों में से एक है, संयुक्त किसान मोर्चा में 500 से अधिक किसान संगठन शामिल हैं और यह संगठन किसानों के सर्व हिन्द संघर्ष का नेतृत्व कर रहा है।

25 जनवरी, 2022 को हुई इस मीटिंग का संचालन बिरजू नायक ने किया। इससे कुछ ही दिन पहले, 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा (एस.के.एम.) की एक अहम मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में एस.के.एम. के सभी सदस्य संगठनों ने भाग लिया और दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे धरने के स्थगित होने के बाद, एक महीने में किसान आंदोलन की स्थिति पर चर्चा की। इस मीटिंग के अंत में एस.के.एम. ने बताया कि केंद्र सरकार किसानों से किए गये अपने अधिकांश वादों को पूरा नहीं कर रही है। इन परिस्थितियों में किसान आंदोलन को आगे ले जाने की योजनाओं की घोषणा की गई। बलदेव सिंह सिरसा ने इन सभी योजनाओं के बारे में, किसानों के बीच प्रचलित जुझारू माहौल और अपनी मांगों को पूरा होने तक संघर्ष को जारी रखने के दृढ़ संकल्प के बारे में विस्तार से बताया।

बलदेव सिंह सिरसा ने अपनी प्रस्तुति की शुरुआत यह समझाते हुए की कि किसानों के बीच माहौल बहुत ही आशावादी है। यह स्थिति इस हक़ीक़त के बावजूद है कि पंजाब में कुछ किसान संगठनों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली है और लोगों में डर है कि इससे किसान मोर्चे को नुक़सान होगा।

मुख्य वक्ता, लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइट के श्री बलदेव सिंह सिरसा ने देश के लोगों को आश्वासन दिया कि पंजाब के किसान, जो कि तीन किसान–विरोधी क़ानूनों को रद्द करवाने के लिए संघर्ष में खड़े हैं, वे अपना संघर्ष तब तक जारी रखेंगे जब तक किसान आंदोलन की सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं।

15 जनवरी को सिंघू बार्डर पर हुई एस.के.एम. की मीटिंग में इस हक़ीक़त की समीक्षा की गयी कि, सरकार द्वारा तीन किसान–विरोधी क़ानूनों को वापस ले लिया गया है और बिजली संशोधन विधेयक को रोक दिया गया है, लेकिन किसानों की अन्य मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ने उन्हें एक लिखित आश्वासन दिया था। इनमें ये मांगें भी शामिल थीं कि – सरकार सभी फ़सलों के लिए एम.एस.पी. तय करने के लिए एक समिति का गठन करे, आंदोलनकारी किसानों के ख़िलाफ़ सभी क़ानूनी मामलों को वापस लिया जाये, सालभर के आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवज़ा दिया जाये। इनमें केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग भी शामिल है – जिसके बेटे पर आरोप है कि उसने पिछले साल अक्तूबर में लखीमपुर खीरी में आंदोलन से जुड़े किसानों को बेरहमी से अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया था।

वर्तमान परिस्थिति का मूल्यांकन करने के बाद, एस.के.एम. ने घोषणा की कि 31 जनवरी को पूरे देश में किसानों द्वारा विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया जाएगा। किसान सभी जिला मुख्यालयों और मंडल कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करेंगे और प्रधानमंत्री का पुतला फूंकेंगे। एस.के.एम. ने केंद्र सरकार के लिये एक चेतावनी भी जारी की है कि अगर 1 फरवरी, 2022 तक उनकी मांगों को लागू करने की दिशा में कोई क़दम नहीं उठाया गया, तो वे "मिशन यूपी" कार्यक्रम शुरू करेंगे। इसके तहत आगामी दिनों में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भाजपा को हराने के लिए किसान सक्रिय रूप से एक अभियान चलाएंगे। एस.के.एम. ने यह भी चर्चा की कि लखीमपुर खीरी के आंदोलनकारी किसानों के ख़िलाफ़ दर्ज़ किये गये मामले वापस लेने और लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों के परिवारों को मुआवज़े के लिए तथा अजय टेनी के इस्तीफ़े की मांग के संघर्ष को कैसे जारी रखा जाए। भारतीय किसान यूनियन (बी.के.यू.), के उत्तर प्रदेश के नेता, राकेश टिकैत ने लखीमपुर खीरी में एक स्थाई विरोध मोर्चा आयोजित करने के लिए अपना प्रस्ताव रखा, जिसमें उत्तर प्रदेश के किसान संगठन, प्रभावित किसानों के परिवारों के साथ–साथ पूरे देश के किसान संगठन शामिल होंगे। यह भी फ़ैसला किया गया कि देश के प्रत्येक किसान संगठन की तरफ से लखीमपुर खीरी में होने वाले विरोध मोर्चे में भाग लेने के लिए, हर दस दिन में अपने दस सदस्यों को बारी–बारी से भेजा जाएगा।

बलदेव सिंह सिरसा ने आगे बताया कि एस.के.एम. ने आंदोलन की शुरुआत से ही, एक गैर–राजनीतिक संगठन होने का फ़ैसला किया था, जो किसी विशेष राजनीतिक दल के समर्थन की वक़ालत नहीं करेगा। एस.के.एम. से अब तक जुड़े 22 किसान संगठनों ने पंजाब में विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए एक राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है, उनके इस फ़ैसले को एस.के.एम. द्वारा सर्व–सम्मति से लिए गए निर्णय का उल्लंघन माना जा रहा है। इसलिए 15 जनवरी की मीटिंग में निर्णय लिया गया कि इन संगठनों को 4 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा और इन्हें एस.के.एम. के नाम से किसी भी सार्वजनिक मंच को संबोधित करने की

शेष पृष्ठ 5 पर

किसान आन्दोलन : वर्तमान स्थिति और आगे की दिशा

मज़दूर एकता कमेटी द्वारा आयोजित सातवीं सभा

"आने वाले समय में सबको मिलकर इस संघर्ष को आगे बढ़ाना है..."

इन उत्साहजनक शब्दों के साथ, भारती किसान यूनियन क्रान्तिकारी (पंजाब) के जाने–माने नेता, सुरजीत सिंह फूल ने सभासदों का हौसला बुलंद किया। वे 'किसान आन्दोलन : वर्तमान स्थिति और आगे की दिशा', इस विषय पर मज़दूर एकता कमेटी द्वारा 12 फरवरी, 2022 को आयोजित, इस श्रृंखला की सातवीं सभा के मुख्य वक्ता थे।

मज़दूर एकता कमेटी की ओर से बिरजू नायक ने सुरजीत सिंह फूल और उनके संगठन का परिचय दिया। भारती किसान यूनियन क्रान्तिकारी (पंजाब) तीन किसान–विरोधी क़ानूनों को रद्द करवाने के इस लम्बे संघर्ष में एक जुझारू योद्धा रही है और संयुक्त किसान मोर्चा (एस.के.एम.) में उसकी सक्रिय भूमिका रही है।

सुरजीत सिंह फूल का वक्तव्य

सबसे पहले तो मैं इस जूम मीटिंग को आयोजित करने के लिये मज़दूर एकता कमेटी के साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। जूम मीटिंग में शामिल किसान, मज़दूर और किसान आंदोलन में दिलचस्पी रखने वाले सभी साथियों को मैं नमस्कार करता हूं।

आज की मीटिंग के विषय – "किसान आंदोलन की वर्तमान स्थिति और आगे की दिशा" के बारे में बोलने से पहले, मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली का आंदोलन जो संयुक्त किसान मोर्चे की अगुवाई में एक साल 13 दिन तक चला, उसके कारण जो तीन काले क़ानून से ख़तरा था कि खेती को कार्पोरेट घरानों के हवाले कर दिया जायेगा, वह ख़तरा टल गया है। इन कृषि–विरोधी क़ानूनों के ख़िलाफ़ यह एक ऐतिहासिक जीत है।

आने वाले विशाल किसान आंदोलन के लिये इस आंदोलन ने रास्ता विस्तृत कर दिया है। आने वाले दिनों में इस आंदोलन में एम.एस.पी. की गारंटी का मुद्दा एक अहम मुद्दा रहेगा। एक बात यह है कि किसानी में जो छोटे किसान हैं, उन पर क़र्ज़ का बहुत बड़ा बोझ है। जब तक यह बोझ हटाया नहीं जायेगा, तब तक किसान आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क़र्ज़े के बारे में, इस सरकार से पहले वाली सरकार ने भी वादा किया था कि वह छोटे किसानों को क़र्ज़ मुक्त करेगी। पर यह काम अभी तक पेंडिंग है। आने वाले दिनों में जो मुद्दे हम और एस.के.एम. भी उठायेंगे, वह होगा कि सभी फ़सलों पर एम.एस.पी. की गारंटी हो तथा छोटे किसानों के क़र्ज़ का बोझ और खेत मज़दूरों की दुर्दशा ख़त्म हो।

किसानी का सबसे बड़ा रोग है कि किसानी के लिये कार्पोरेट–पक्षीय मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो किसानी की स्थानीय समस्याओं को पूरी तरह नज़रंदाज़ करता है। यह मॉडल कार्पोरेट और साम्राज्यवादी हितों को पूरा करने की दिशा में है। पिछले 30–40 सालों से हरित क्रांति (ग्रीन रेवोल्यूशन) के ज़रिये किसानी के विकास का जो मॉडल लागू किया गया है, वह उन्हीं के हितों को पूरा करने के लिये है। इससे कीटनाशक और दूसरे तरीक़ों की वजह से ज़मीन जहरीली हो गयी, पानी जहरीला हो गया। इससे बड़ी–बड़ी कंपनियों को खूब मुनाफ़ा मिला, पर किसान क़र्ज़े में डूब गये और खुदकुशी करने को मजबूर हो गये। खाद, कीटनाशक और बीज की बड़ी–बड़ी कंपनियों को अरबों का मुनाफ़ा मिला। यही किसानी का असली रोग है और इस कार्पोरेट–पक्षीय रोग को ख़त्म करने के लिये जो मांगें आयेंगी वे आने वाले आंदोलन के मुख्य मुद्दे रहेंगे।

पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, दिल्ली आंदोलन के केन्द्र में रहे हैं। हरियाणा को छोड़कर अब पंजाब, उत्तर प्रदेश और साथ ही उत्तराखंड चुनावी दंगल में हैं और किसान आंदोलन के कुछेक लोग इसमें कूद गये हैं। चुनाव में किसानी एक मुद्दा है।

किसानी का सबसे बड़ा रोग है कि किसानी के लिये कार्पोरेट–पक्षीय मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो किसानी की स्थानीय समस्याओं को पूरी तरह नज़रंदाज़ करता है। यह मॉडल कार्पोरेट और साम्राज्यवादी हितों को पूरा करने की दिशा में है। पिछले 30–40 सालों से हरित क्रांति (ग्रीन रेवोल्यूशन) के ज़रिये किसानी के विकास का जो मॉडल लागू किया गया है, वह उन्हीं के हितों को पूरा करने के लिये है। इससे कीटनाशक और दूसरे तरीक़ों की वजह से ज़मीन जहरीली हो गयी, पानी जहरीला हो गया। इससे बड़ी–बड़ी

शेष पृष्ठ 6 पर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव कामरेड लाल सिंह का संदेश

जस्टिस अजीत सिंह बैंस के निधन पर हम गहरा शोक व्यक्त करते हैं

11 फरवरी, 2022 को मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक अधिकारों के जुझारू सेनानी, जस्टिस अजीत सिंह बैंस का चंडीगढ़ में अपने घर पर निधन हो गया। वे 99 वर्ष के थे। उनके निधन से सभी प्रकार के शोषण, दमन और अन्याय से समाज की मुक्ति के संघर्ष को बड़ा नुक़सान हुआ है। हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी इस साहसी और प्रगतिशील योद्धा की याद में, अपने झंडे को नीचे करके श्रद्धांजलि देती है।

14 मई, 1922 को पंजाब के बड़ापिंड में अजीत सिंह बैंस का जन्म हुआ था। वे अपने सक्रिय जीवन के दौरान लोगों और उनकी समस्याओं के साथ नजदीकी से जुड़े रहे। उनके पिता एक कम्युनिस्ट थे, जिन्होंने अपने बच्चों के मन में मानव सेवा का आदर्श विकसित किया था। अजीत सिंह ने लखनऊ में अपनी वकालत की डिग्री पूरी की। उन्होंने कुछ समय तक पंजाब के शिक्षा विभाग में काम किया। 1953 में उन्होंने वकालत को एक पेशे के रूप में अपनाया। अक्तूबर 1974 से मई 1984 में अपनी सेवानिवृत्ति तक, वे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे। वे अपने जीवन काल में सभी मेहनतकशों और उत्पीड़ित जनसमुदाय के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक निडर सिपाही बतौर जाने जाते रहे।

1984 में जस्टिस बैंस जब सक्रिय सेवा से सेवानिवृत्त हुए, तब पंजाब में उथल–पुथल मची हुई थी। जून में स्वर्ण मंदिर पर सेना के हमले और नवंबर में सिखों के जनसंहार के बाद, पंजाब में सैनिक शासन के चलते, आम लोगों पर राजकीय आतंकवाद बहुत बढ़ गया। ऐसी परिस्थितियों में, जब हिन्दोस्तानी राज्य लोगों के अधिकारों पर एक जबरदस्त हमला कर रहा था, तब जस्टिस बैंस लोगों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, एक साहसी और दृढ़ सिपाही के रूप में आगे आये।

जस्टिस अजीत सिंह बैंस ने पंजाब मानवाधिकार संगठन (पी.एच.आर.ओ.) की स्थापना की और

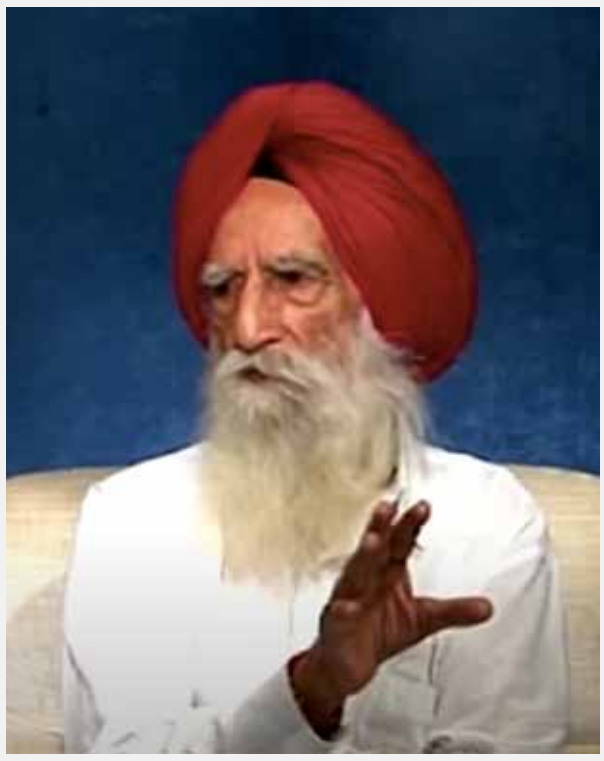

जस्टिस अजीत सिंह बैंस
(1922–2022)

उसका नेतृत्व किया। पी.एच.आर.ओ. ने सुरक्षा बलों के जन–विरोधी और मानव–विरोधी कारनामों का पर्दाफ़ाश करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पी.एच.आर.ओ. ने इस सच को उजागर किया कि हजारों बेकसूर युवाओं को उनके गांवों से गिरफ़्तार किया गया था, उनको यातनाएं दी गई थीं और हिरासत में उनकी हत्या करके उनके शवों को नहरों में फेंक दिया गया था।

अप्रैल 1992 में, पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस ने जस्टिस बैंस को बदनाम क़ानून टाडा (आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) के तहत गिरफ़्तार किया और उन्हें हथकड़ियां लगाईं। उन पर आतंकवाद का समर्थन करने का इलजाम लगाया गया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पंजाब में हिंसा और आतंक फैलाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों की निंदा की थी। जस्टिस बैंस के विचार, जिसके लिए उन्हें गिरफ़्तार किया गया था, उनके द्वारा लिखी गई दो महत्वपूर्ण पुस्तकों में अभिव्यक्त हैं : **सिखों की घेराबंदी** (अगस्त 1988) और **राजकीय आतंकवाद और मानवाधिकार** (जिसे उन्होंने जुलाई 1992 में कैद की सज़ा के दौरान जेल में लिखा था)।

हिन्दोस्तान और विदेशों में, प्रगतिशील ताक़तों ने जस्टिस बैंस के, अपने विचार व्यक्त करने के मौलिक अधिकार के समर्थन में आवाज़ बुलंद की थी। उन्होंने जस्टिस बैंस की गिरफ़्तारी की सख़्त निंदा की थी और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की थी। दुनियाभर से विरोध का सामना करते हुये, हिन्दोस्तानी सरकार ने जस्टिस बैंस के ख़िलाफ़ सभी आरोपों को वापस लेने का फ़ैसला किया। उन्हें चार महीने जेल में रखने के बाद रिहा कर दिया गया था।

बाबरी मस्जिद के विध्वंस और संसद में मौजूद प्रमुख राजनीतिक पार्टियों द्वारा सांप्रदायिक हिंसा फैलाये जाने के बाद, जस्टिस अजीत सिंह बैंस ने अप्रैल 1993 में प्रेपरेट्री कमेटी फॉर पीपल्स एम्पावरमेंट की स्थापना करने के लिए, अन्य मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, मज़दूरों और महिलाओं के संगठनों के साथ मिलकर काम किया। यह कमेटी आगे चलकर जब लोक राज संगठन के नाम से स्थापित की गयी, उसके बाद जस्टिस बैंस ने इसके उपाध्यक्ष बतौर अपना योगदान दिया।

जस्टिस अजीत सिंह बैंस का निधन हमारी पार्टी के लिए और लोगों के अधिकारों व लोगों को सत्ता में लाने के संघर्ष से जुड़े सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केंद्रीय समिति की ओर से, मैं उनके शोकाकुल परिवार – उनकी पत्नी रचपाल कौर, उनके चार बच्चों और अनेक पोते–पोतियों, उनके भाइयों और बहनों और उनके परिवारों – के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।

हार्दिक संवेदना सहित,
लाल सिंह,
महासचिव, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी

http://hindi.cgpi.org/21829

किसान आंदोलन – छठी मीटिंग

पृष्ठ 4 का शेष

इज़ाज़त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि 4 महीने बाद, एस.के.एम. की मीटिंग में इस फ़ैसले की फिर से समीक्षा की जाएगी।

श्री सिरसा ने कहा कि एस.के.एम. ने 23–24 फरवरी को होने वाली मज़दूरों की सर्व हिन्द हड़ताल को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। मज़दूर–किसान एकता के प्रतीक के रूप में एस.के.एम. ने 23–24 फरवरी को पूरे देश में किसान संगठनों द्वारा भारत बंद आयोजित करने का आह्वान किया है।

बलदेव सिंह सिरसा ने अपनी प्रस्तुति का अंत एक आशावादी वक्तव्य के साथ किया। किसानों और पंजाब के सभी लोगों के साथ–साथ पूरे देश के किसान संगठनों ने एस.के.एम. पर अपना विश्वास प्रकट किया है। पंजाब के कई किसान संगठन जो हमें छोड़कर चले गए थे, वे भी वापस आ रहे हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों से अधिक से अधिक किसान संगठन एस.के.एम. के साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने देश की जनता को आश्वासन दिया कि पंजाब के किसान, जो कि तीन किसान–विरोधी क़ानूनों को रद्द करवाने के लिए संघर्ष में खड़े हैं, वे अपना संघर्ष तब तक जारी रखेंगे जब तक किसान आंदोलन की सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं।

मज़दूर एकता कमेटी की ओर से बोलते हुए, संतोष कुमार ने किसान आंदोलन की एकता को बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि मज़दूरों और किसानों को अपने भविष्य का मालिक खुद बनने के लिए, अपनी ज़िन्दगी को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर सभी फ़ैसले लेने के लिए, राजनीतिक ताक़त हमारे हाथों में होनी चाहिए। तभी हम देश की अर्थव्यवस्था का नव–निर्माण कर सकते हैं। यह अर्थव्यवस्था सभी लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाई जायेगी न कि मुट्ठीभर इजारेदार पूंजीपतियों के अधिकतम मुनाफ़ों की लालच को पूरा करने के लिये।

संघर्ष को आगे कैसे ले जाया जाए, इस विषय पर आयोजित की गयी इस चर्चा में देश के विभिन्न हिस्सों के साथ–साथ विदेशों से भी अनेक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक अपने विचार रखे।

एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो एक सहभागी ने उठाया, वह यह था कि बहुराष्ट्रीय व्यापार समझौतों के तहत सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यापार पर इजारेदारों के वर्चस्व ने कई देशों में किसानों को बर्बाद कर दिया है। 1995 में हमारा देश गैट (जी.ए.टी.टी.) और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) का सदस्य बना, उसके बाद से हमारे देश में किसानों के कई वर्गों के लिए विनाशकारी नतीजे हुये हैं। कई सहभागियों ने मज़दूर–किसान एकता को मजबूत करने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया।

चर्चा के अंत में, बलदेव सिंह सिरसा ने एम.ई.सी. और सभी सहभागियों को किसान आंदोलन के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने इस मुद्दे पर ज़ोर दिया कि मज़दूरों और किसानों का आम दुश्मन कौन है। इसके बारे में बढ़ती जागरुकता, मज़दूरों और किसानों के बीच बढ़ती एकता और भाईचारा, जिसे किसान आंदोलन ने जन्म दिया है। जिसे और आगे ले जाना चाहिए और इस एकता और भाईचारे को और भी मजबूत किया जाना चाहिए। करोड़ों छोटे उत्पादकों, दुकानदारों, ट्रांसपोर्टरों आदि के हित भी मज़दूरों और किसानों के हितों से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं किसान आंदोलन की रीढ़ रही हैं, वे समाज का आधा हिस्सा हैं, इसलिए महिलाओं को संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहिये और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिये।

केंद्र सरकार ने किसानों पर "खालिस्तानी" और "आतंकवादी" का ठप्पा लगाकर किसान आंदोलन को बदनाम करने की पूरी कोशिश की। लेकिन किसान आंदोलन के लिए बढ़ता समर्थन, जैसा कि इस मीटिंग में भी देखा जा सकता है, यह दर्शाता है कि सरकार के प्रयास विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन का संदेश, लोगों के बीच दूर–दूर तक ले जाने की सख़्त ज़रूरत है।

बलदेव सिंह सिरसा ने किसान आंदोलन को एकीकृत नेतृत्व और आगे के लिए एक स्पष्ट दिशा प्रदान करने के लिए एस.के.एम. को एकजुट रखने और उसमें लगातार विस्तार और संगठन को मजबूत करने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने लोगों के हितों के लिए लड़ने वाले सभी संगठनों के बीच एकता और आपसी समझ को और मजबूत करने के लिए ऑनलाइन भी और व्यक्तिगत रूप से भी, ऐसी कई और मीटिंगें आयोजित करने की इच्छा व्यक्त की।

बिरजू नायक ने शासक वर्ग के हमलों को हराने के लिए एक सांझे कार्यक्रम के इर्द–गिर्द मज़दूरों और किसानों की एकता को मजबूत करने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए मीटिंग का समापन किया।

http://hindi.cgpi.org/21793

किसान आंदोलन – सातवीं मीटिंग

पृष्ठ 4 का शेष

कंपनियों को खूब मुनाफ़ा मिला, पर किसान क़र्ज़े में डूब गये और खुदकुशी करने को मजबूर हो गये। खाद, कीटनाशक और बीज की बड़ी–बड़ी कंपनियों को अरबों का मुनाफ़ा मिला। यही किसानी का असली रोग है और इस कार्पोरेट–पक्षीय रोग को ख़त्म करने के लिये जो मांगें आयेंगी वे आने वाले आंदोलन के मुख्य मुद्दे रहेंगे।

एक और चीज ध्यान देने योग्य है कि किसान इन मुद्दों पर चुनाव में खड़ी पार्टियों से सवाल कर रहे हैं। किसान आंदोलन ने किसी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी को अपने मंच पर आने नहीं दिया था, क्योंकि इन सब पार्टियों ने उन उदारीकरण की नीतियों का समर्थन किया था और उन्हें लागू किया था। ये नीतियां डब्ल्यू.टी.ओ. के निर्देशों के अनुसार बनी थीं। सभी पार्टियों द्वारा उन नीतियों का समर्थन करने की वजह से किसानी संकट में फंसी। इसीलिये किसानों ने इन पार्टियों को अपने आंदोलन से दूर रखा था, उन्हें स्टेज पर नहीं आने दिया था। किसान पूछ रहे हैं कि उनके चुनावी घोषणा पत्र में किसानों के लिये नया क्या है? कि वे इस मॉडल को ख़त्म करने के लिये क्या कर रहे हैं? इन नीतियों के कारण देश को गिरवी रख दिया गया है और देश सात लाख करोड़ के क़र्ज़े में डूब गया है। इसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था, ख़ासकर कृषि अर्थव्यवस्था, क़र्ज़े पर निर्भर हो गयी है। बड़े साम्राज्यवादी देश शर्तें रखते हैं कि क़र्ज़ा तभी मिलेगा जब खेती में कार्पोरेट मॉडल की नीतियों को लागू किया जायेगा। आने वाले दिनों में यह एक मुद्दा रहेगा।

हम चुनावों में भाग नहीं ले रहे हैं क्योंकि चुनाव में भाग लेने वाली सारी राजनीतिक पार्टियां विश्व बैंक, आई.एम.एफ. की गुलाम हैं। ये राज्य विधानसभाओं में जाकर इन्हीं नीतियों को अपनायेंगी। इसीलिये किसान आंदोलन चुनावों में भाग नहीं ले रहा है। हमें किसान आंदोलन के रास्ते को, जो संघर्ष का रास्ता है, उसी को आगे लेकर जाना है। किसानों और खेत मज़दूरों का भविष्य ऐसे ही किसान आंदोलन से सुधर सकता है। 20 फरवरी को पंजाब में चुनावी खेल ख़त्म हो जायेगा।

चन्नी सरकार ने पांच कीले तक की ज़मीन के मालिकी वाले छोटे किसानों को 1,200 करोड़ रुपये का जो वादा किया है, वह तो पूरा नहीं किया गया है। सरकार 1,200 करोड़ रुपया कहां से देगी, क्योंकि वह तो खुद क़र्ज़े में डूबी हुई है। सरकारें कार्पोरेट घरानों के क़र्ज़े में डूबी हुई हैं। इसीलिये इस मसले को खींचे जा रही हैं। इसीलिये हम सरकार को संदेश दे रहे हैं कि हम इस क़र्ज़े का भुगतान नहीं करने वाले हैं। आने वाले समय में, सबको मिलकर इस संघर्ष को आगे बढ़ाना है। दिल्ली वाले आंदोलन ने बहुत सी उम्मीदें जगा दी हैं। इसीलिये आने वाले दिनों में आंदोलन अवश्य ही बढ़ने वाला है।

आने वाले समय में संयुक्त किसान मोर्चे का भविष्य क्या होगा, इसके बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं। एस.के.एम. कोई संगठन नहीं है; यह अलग–अलग संगठनों का ज्वाइंट फोरम है – एक मिनिमम प्रोग्राम के लिये। आने वाले समय में संघर्ष के लिये इसकी ज़रूरत रहेगी। इसका घेरा और आकार बड़ा होगा, गिनती में भी। इसके लीडर्स के काम को परखा जायेगा और उनका फिर से मूल्यांकन किया जायेगा। दिल्ली आंदोलन में जो लीडर्स दिखते थे, उनमें से कुछ पीछे जायेंगे और इस आंदोलन के ज्वलंत मुद्दों पर जो संघर्ष कर रहे थे, वे आगे आयेंगे। कहने का मतलब है कि इसकी रचना में तब्दीली आयेगी – कुछ पीछे हटेंगे और कुछ आगे आयेंगे।

हमें कहा जाता है कि हम राजनीति के ख़िलाफ़ हैं। हम चुनावी वोट बैंक की राजनीति के ख़िलाफ़ हैं। पर संघर्ष की राजनीति को हम आगे लेकर जायेंगे। आने वाले दिनों में हम गांवों के संगठन, किसानों के संगठन, खेत मज़दूरों के संगठन, महिलाओं के संगठन और अलग–अलग संगठनों को मजबूती देंगे। सबको मिलजुल कर संघर्ष करना है और ख़ासतौर पर दलित मज़दूर हमारे संघर्ष का दायां हाथ होगा।

संघर्ष आगे बढ़ेगा, नया सृजन होगा और अब भगत सिंह के नारे, "साम्राज्यवाद मुर्दाबाद!", "इंक़लाब ज़िन्दाबाद!" का पूरा होने का समय आ गया है। लोग समझते हैं कि "साम्राज्यवाद मुर्दाबाद!" 1947 में ही हो चुका था। बस्तीवादी राज ख़त्म हो गया था, पर नया बस्तीवादी राज आ गया था। हमारी विदेशी गुलामी ख़त्म नहीं हुई है। इस आंदोलन से लोग भगत सिंह के "साम्राज्यवाद मुर्दाबाद" के नारे को समझने लगे हैं, कि कार्पोरेट खेती की गुलामी से निकलना ज़रूरी है। उनके द्वारा लूटा जाने वाला पैसा लोगों को ही मिलना चाहिये। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाला दशक बड़े संघर्षों और क़ामयाबियों का होगा।

सुरजीत सिंह फूल के भाषण के बाद, मज़दूर एकता कमेटी की ओर से संतोष कुमार ने अपने विचार रखे।

दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, ओड़िशा, मणिपुर, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, आदि जैसे देश के अनेक इलाकों से और ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि कई अन्य देशों से कार्यकर्ताओं ने सभा में भाग लिया। उनमें से अनेक लोगों ने किसान आन्दोलन पर अपने विचार रखे तथा मुख्य वक्ता से अपने सवाल पूछे।

साथियों के सवालों को उठाते हुए सुरजीत सिंह फूल ने अपने विचार इस प्रकार रखे।

पहला सवाल एक साथी का एम.एस.पी. की क़ानूनी गारंटी के बारे में था। वे जानना चाहते थे कि जब ऐसा क़ानून बन जाता है तो क्या सारी ख़रीद सरकार करेगी या निजी कंपनियां करेंगी? एम.एस.पी की घोषणा तो पहले भी होती थी। घोषणा तो सब फ़सलों की होती थी, पर ख़रीद सिर्फ दो फ़सलों की ही होती थी। इसीलिये जो एम.एस.पी. गारंटी क़ानून बनेगा उसके तहत इसकी ज़िम्मेदारी सरकार की ही होगी। सरकार को धनराशि जुटाकर पूरी ख़रीद करना चाहिये। अगर निजी व्यापारी ख़रीदे तो भी वह न्यूनतम क़ीमत से कम में न ख़रीदे। अगर वह कम में ख़रीदे तो उस पर क़ानून लागू हो। निजी व्यापारी को ख़रीदने की छूट होनी चाहिये पर न्यूनतम समर्थन क़ीमत से कम पर नहीं।

दूसरा सवाल था कि जो पंजाब के 22 संगठनों ने मिलकर एक राजनीतिक पार्टी बनाई है और उसका नाम उन्होंने संयुक्त समाज मोर्चा (एस.एस.एम.) रखा है। दिल्ली में 15 जनवरी की मीटिंग में कहा गया था कि व्यक्तिगत तौर पर कोई भी चुनाव में खड़ा हो सकता है। संगठन जो एस.एस.एम. में हैं वे तो किसान संगठन नहीं हैं, वे तो राजनीतिक पार्टी हैं। तो जैसा एस.के.एम. का दूसरी पार्टियों की तरफ रुख़ है वैसा ही रुख़ एस.एस.एम. की तरफ रहेगा। चार महीने के लिये उन्हें एस.के.एम. से बाहर रखा गया है। अगर वे एस.एस.एम. से रिश्ता तोड़कर एस.के.एम. में वापस आते हैं तो फिर से विचार किया जा सकता है। चार महीने के बाद देखा जायेगा कि वे एस.एस.एम. में रहना चाहते हैं या एस.के.एम. में वापस आना चाहते हैं। एस.एस.एम. में रहते हुए वे एस.के.एम. में वापस नहीं आ सकते हैं। अगर वे एस.एस.एम. से बाहर होकर एस.के.एम. में वापस आना चाहते हैं तो उनके आवेदन पर पुनर्विचार किया जा सकता है। 15 जनवरी की मीटिंग का यही फ़ैसला था।

अंत में जैसा कि मैंने पहले बताया था, साम्राज्यवादियों और कार्पोरेट घरानों द्वारा कृषि पर नियंत्रण जमाने के लिये (5 जून, 2020) को ये क़ानून लाये गये थे। उनके मुनाफ़े को बढ़ाने के लिये ये क़ानून डब्ल्यू.टी.ओ. की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिये लाये गये हैं। अपना देश भी डब्ल्यू.टी.ओ. का सदस्य है। डब्ल्यू.टी.ओ. सभी देशों के व्यापार को और अर्थव्यवस्था को अपनी नीतियों के नियंत्रण में रखता है। सरकार ने खेती–विरोधी क़ानून तो वापस ले लिये परन्तु उन्होंने अपनी नीतियों को नहीं बदला है। सरकार किसी न किसी तरह अपनी नीतियों को लागू करेगी। इसीलिये हमारे सामने एक चुनौती है। हम इस चुनौती को कबूल करेंगे और इस व्यवस्था में जड़ से परिवर्तन करके एक नयी व्यवस्था के लिये संघर्ष करेंगे जो सबके भले के लिये होगी।

मैं मज़दूर एकता कमेटी को इस जूम मीटिंग को आयोजित करने के लिये एक बार फिर धन्यवाद देता हूं।

http://hindi.cgpi.org/21835

चुनाव और हमारे सामने चुनौतियां

पृष्ठ 3 का शेष

का चयन करने और किसी भी समय निर्वाचित प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। हमें क़ानून और नीति प्रस्तावित करने, उन पर सहमति जताने या उन्हें ख़ारिज़ करने और संविधान में संशोधन करने या संविधान को फिर से लिखने का अधिकार होना चाहिए। चयन और चुनाव की पूरी प्रक्रिया के लिए राज्य को धन देना चाहिए और किसी भी चुनाव अभियान के लिए किसी निजी धन के प्रयोग की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए।

वर्गों के नज़रिए से, नई व्यवस्था श्रमजीवी वर्ग का लोकतंत्र होगा। किसानों और दूसरे मेहनतकश व दबे–कुचले लोगों के साथ मज़दूर वर्ग के गठबंधन की हकूमत होगी। वह हर प्रकार के शोषण और दमन को ख़त्म करने की हुकूमत होगी, सामंतवाद और जातिवादी व्यवस्था के सभी अवशेषों को ख़त्म करने वाली हुकूमत होगी, संपूर्ण उपनिवेशवादी विरासत को ख़त्म करने और पूंजीवाद को बदलकर समाजवाद व कम्युनिज़्म की स्थापना करने की हुकूमत होगी। इस क्रांतिकारी विकल्प के इर्द–गिर्द एकजुट होकर ही हम संसदीय विकल्प के पीछे लोगों को लामबंध करने की सरमायदारों की योजना को हरा सकते हैं।

हमारे देश में कम्युनिस्ट आंदोलन बहुत लंबे समय तक इस बात पर बंटा रहा है कि वर्तमान व्यवस्था में चुनावों के दौरान हमारी क्या कार्य नीति होनी चाहिए। आज वक्त की मांग है कि कम्युनिस्ट आंदोलन की एकता को पुनः स्थापित किया जाए ताकि मज़दूरों और किसानों की हकूमत के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाया जा सके। यह अति–आवश्यक है कि सभी कम्युनिस्ट इस क्रांतिकारी विकल्प पर खुलकर और गहराई से चर्चा करें, जिसके इर्द–गिर्द मेहनतकश लोगों की राजनीतिक एकता बनायी जा सकती है और आज बनाना ज़रूरी है।

म.ए.ल. : इस अत्यंत ज्ञानवर्धक साक्षात्कार के लिए, धन्यवाद कामरेड।

http://hindi.cgpi.org/21837

हमारे देश में कम्युनिस्ट आंदोलन बहुत लंबे समय तक इस बात पर बंटा रहा है कि वर्तमान व्यवस्था में चुनावों के दौरान हमारी क्या कार्य नीति होनी चाहिए। आज वक्त की मांग है कि कम्युनिस्ट आंदोलन की एकता को पुनः स्थापित किया जाए ताकि मज़दूरों और किसानों की हकूमत के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाया जा सके। यह अति–आवश्यक है कि सभी कम्युनिस्ट इस क्रांतिकारी विकल्प पर खुलकर और गहराई से चर्चा करें, जिसके इर्द–गिर्द मेहनतकश लोगों की राजनीतिक एकता बनायी जा सकती है और आज बनाना ज़रूरी है।

मज़दूर एकता लहर का वार्षिक शुल्क और अन्य प्रकाशनों का भुगतान आप बैंक खाते और पेटीएम में भेज सकते हैं

आप वार्षिक ग्राहकी शुल्क (150 रुपये) सीधे हमारे बैंक खाते में या पेटीएम क्यूआर कोड स्केन करके भेजें और भेजने की सूचना नीचे दिये फोन या वाट्सएप पर अवश्य दें।

खाता नाम–लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, कालका जी
खाता संख्या–20066800626, **ब्रांच नं.**–00974
IFSCode: MAHB0000974, मो.–9810167911
वाट्सएप और पेटीएम नं.-9868811998
email: mazdoorektalehar@gmail.com

महाराष्ट्र राज्य के बिजली कर्मचारियों का राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन

ऐसी ख़बर है कि महाराष्ट्र सरकार, राज्य के 16 बड़े शहरों में बिजली वितरण के निजीकरण करने की योजना बना रही है। मुंबई में बिजली वितरण पहले से ही निजी हाथों में है।

इस योजना का महाराष्ट्र में बिजली कर्मचारी डटकर विरोध करने के लिए संगठित हो रहे हैं। उन्होंने 2 मार्च को महाराष्ट्र राज्य बिजली कर्मचारी, अधिकारी और इंजीनियर संघर्ष समिति (जिसे महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार, अभियान्ते, अधिकारी संघर्ष समिति के नाम से भी जाना जाता है) के बैनर तले राज्य विधानसभा तक जुलूस निकालने की योजना बनाई है। समिति ने आगे घोषणा की है कि कर्मचारी 27–28 मार्च को हड़ताल पर रहेंगे। बिजली उद्योग के इंजीनियरों, मज़दूरों और अधिकारियों के 26 संगठन इस संघर्ष में शामिल हुए हैं।

महाराष्ट्र सरकार की योजनाओं का विरोध करने के लिए गेट मीटिंग्स के रूप में कई विरोध प्रदर्शन पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं। महानिरमिति (महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जेनरेशन कंपनी, महाजेनको), महापारेशान (महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी, महाट्रांसको) और महावितरण (महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी) में

निजीकरण के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करते महाराष्ट्र में बिजली कर्मचारी (फाइल फोटो)

काम करने वाले लगभग एक लाख बिजली कर्मचारियों, इंजीनियरों और अधिकारियों ने 16 फरवरी, 2022 को तीन कंपनियों के कार्यालयों के सामने आयोजित विशाल प्रदर्शनों में भाग लिया। ठाणे, वाशी, धारावी, कल्याण, पुणे, औरंगाबाद, नांदेड़, लातूर, परभणी, जालना, रत्नागिरी, गढ़चिरौली, जलगांव, धुले, नागपुर, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, सिंधुदुर्ग, पालघर, चंद्रपुर, गोंदिया और भंडारा जिले में भी प्रदर्शन आयोजित किए गए।

संघर्ष समिति ने जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में शुरू हुए निजीकरण को रद्द करने की मांग की है। समिति ने केंद्र सरकार के विद्युत (संशोधन) विधेयक 2021, महानिरमिति कंपनी के तहत जलविद्युत बिजली स्टेशनों को निजी उद्योगपतियों को सौंपने की नीति, तीन कंपनियों में रिक्त पदों को भरने में देरी तथा स्थानांतरण नीति का तीनों कंपनियों के कर्मचारियों ने अपना विरोध व्यक्त किया है।

अधिकारियों और इंजीनियरों सहित मज़दूरों ने सरकार की नीति के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते हुए, उत्साहजनक गेट मीटिंगों का सिलसिला शुरू कर दिया।

जम्मू–कश्मीर, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में उनके साथी मज़दूरों द्वारा हाल ही में आयोजित विरोध प्रदर्शनों से महाराष्ट्र के मज़दूर बहुत उत्साहित हैं। यह अहसास बढ़ रहा है कि बड़े पैमाने पर लोगों को अपनी ओर खींचना बहुत ज़रूरी है और वे एक जागरुकता कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। जम्मू–कश्मीर के मज़दूरों द्वारा चलाया गया जागरुकता कार्यक्रम इतना प्रभावी था कि लोग शून्य से नीचे के तापमान में और सेना के दमन के ख़तरे का भी डटकर मुक़ाबला करते हुए हड़ताली मज़दूरों के पक्ष में थे। इसी तरह, पुडुचेरी में मज़दूर यूनियनों और यूनियनों के संयुक्त विरोध प्रदर्शन के साथ–साथ लोगों के संगठनों द्वारा निजीकरण की योजना को विफल कर दिया गया है।

उन अनुभवों से प्रेरित होकर महाराष्ट्र के मज़दूर अपने संघर्ष को तेज़ करने की योजना बना रहे हैं। लोगों को इस मज़दूर–विरोधी और असामाजिक क़दम के ख़िलाफ़ अपने प्रतिरोध का समर्थन करने के लिए ये आकर्षित कर रहे हैं।

http://hindi.cgpi.org/21846

कोरोना वायरस महामारी के दौरान मज़दूरों का बढ़ता शोषण

कोरोना वायरस महामारी का फ़ायदा उठाते हुए टाटा, अंबानी, बिरला, अदानी और अन्य इजारेदार घरानों के नेतृत्व में सत्ता में बैठे पूंजीपति वर्ग ने 2020 और 2021 के दौरान, मज़दूर वर्ग के ख़िलाफ़, एक अभूतपूर्व हमले की शुरुआत की है।

बार–बार किए गए लॉकडाउन, सार्वजनिक संपत्ति के निजीकरण और पूंजीवादी श्रम क़ानून सुधारों का कुल मिलाकर नतीजा हमारे सामने है। बड़े पैमाने पर नौकरियां ख़त्म हुई हैं और जिनके पास नौकरी बची भी है, उन मज़दूरों का शोषण और भी तेज किया गया है। उसी वेतन पर या पहले से भी कम वेतन पर ज्यादा से ज्यादा लम्बे घंटों तक काम करने को मजबूर होना और यहां तक कि मज़दूरों को उनके सबसे बुनियादी अधिकारों से भी वंचित किया जाना, अब एक आम बात हो गयी है। एक के बाद एक, हर कंपनी में काम करने की इस तरह की पद्धति को अब एक जरूरी शर्त बतौर अपनाया जा रहा है।

2019–20 में लॉकडाउन शुरू होने से एक साल पहले, लगभग 41 करोड़ व्यक्ति थे, जिनके पास वेतन के साधन उपलब्ध थे। इनमें से 22 करोड़ मज़दूर थे और 19 करोड़ स्व–रोज़गार वाले, जो स्वयं अपना धंधा चला रहे थे, जैसे कि किसान, कारीगर, व्यक्तिगत पेशेवर और दुकानदार। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी (सी.एम.आई.ई.) के अनुसार, काम पर रखे गए मज़दूरों में केवल 9 करोड़ वेतनभोगी कर्मचारी थे और बाकी 13 करोड़ ठेके पर और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी थे।

दिसंबर 2021 तक सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियों में वेतनभोगी मज़दूरों की संख्या घटकर 8 करोड़ से कम हो गई थी। दूसरे शब्दों में, पिछले दो वर्षों के दौरान लगभग एक करोड़ वेतनभोगी नौकरियां ख़त्म हो गई हैं। विनिर्माण उद्योग में लगभग 98 लाख नौकरियां ख़त्म हो गई हैं। होटल और पर्यटन क्षेत्र में 50 लाख नौकरियां और शिक्षा क्षेत्र में 40 लाख नौकरियां ख़त्म हो गई हैं। खुदरा व्यापार और होम डिलीवरी से जुड़े क्षेत्रों में 78 लाख नौकरियां बढ़ गई हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि देश में रोजगार की हालतों में भारी बदलाव आया है – पक्की नौकरियों की जगह अब लोग, अस्थायी ठेके पर नौकरी करने के लिए मजबूर हैं।

मज़दूर वर्ग की असुरक्षा बहुत बढ़ गई है। पूंजीपति इस स्थिति का फ़ायदा उठाकर अपने मज़दूरों से और अधिक मज़दूरी की वसूली करके, अपने मुनाफ़े और भी बढ़ा रहे हैं।

कोरोना वायरस फैलने के पहले से ही, अधिकांश अन्य देशों की तुलना में हिन्दोस्तानी मज़दूर, हर हफ़्ते ज्यादा घंटे काम करते थे। 2018 में एन.एस.एस.ओ. द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, हिन्दोस्तानी शहरों में मज़दूरों ने प्रति सप्ताह 54 घंटे काम किया, जो 43 घंटे के वैश्विक–औसत से कहीं अधिक है। हिन्दोस्तान में लगभग 55 प्रतिशत ग्रामीण मज़दूर और 70 प्रतिशत शहरी मज़दूर, सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करते हैं। 48 घंटे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) द्वारा निर्धारित काम करने के समय की उच्चतम सीमा है।

पिछले दो वर्षों के दौरान, अधिकांश मज़दूरों के लिए हालतें और भी बदतर हो गई हैं। काम के घंटे पहले से ही अधिक थे। अब घर से काम करने के कारण और भी बढ़ गए हैं।

जबकि काम के घंटे बढ़ गए हैं तो मज़दूरों के वेतन में बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसके विपरीत, न केवल हिन्दोस्तान में बल्कि विश्व स्तर पर श्रम से मिलने वाली आमदनी को और भी नीचे धकेल दिया गया है। आई.एल.ओ. द्वारा प्रकाशित ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2020–21 के अनुसार, कोरोना वायरस संकट के परिणामस्वरूप वैश्विक श्रम आमदनी में 10.7 प्रतिशत की गिरावट आई है।

सरकार ने 44 श्रम कानूनों के स्थान पर अब चार श्रम संहिताएं पारित की हैं। ये श्रम संहिताएं मज़दूरों के शोषण को और भी तेज करने में पूंजीपति वर्ग को सक्षम बनाती हैं।

कुल मिलाकर, हिन्दोस्तानी राज्य पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा करता है और देश की सरकार उनका एजेंडा लागू करती है। इस पूंजीपति वर्ग ने कोरोना वायरस संकट का इस्तेमाल करके मज़दूर वर्ग पर चौतरफा हमला किया है।

इन बढ़ते हमलों और अत्यधिक शोषण के ख़िलाफ़, मज़दूरों में गुस्सा दिन पर दिन, बढ़ता जा रहा है। निजीकरण कार्यक्रम और मज़दूर विरोधी श्रम संहिता के ख़िलाफ़, मज़दूरों के बीच एकता बढ़ रही है। बड़े उद्योगों और सेवाओं में, संघर्ष के दौरान मज़दूर यूनियनों के बीच, बड़े पैमाने पर, एकता और भी मजबूत हो रही है। मज़दूर यूनियनें अपने राजनीतिक पार्टीवादी संबंधों और फेडरेशन संबंधों को एकतरफ करके, मिलकर संघर्ष कर रही हैं।

पूंजीवादी मीडिया को भी मानना पड़ा है कि 2000–2021 के दौरान, हमारे देश के सबसे अमीर पूंजीपतियों के मुनाफ़ों में कई गुना वृद्धि हुई है। इन आंकड़े में जो हकीकत छिपी है वह यह है कि पूंजीवादी मुनाफ़ों में इतनी बड़ी वृद्धि का प्रमुख स्रोत मज़दूर वर्ग का बढ़ता शोषण है।

http://hindi.cgpi.org/21833

मज़दूर एकता लहर (इंटरनेट संस्करण)

हिन्दी : www.hindi.cgpi.org पंजाबी : www.punjabi.cgpi.org
तामिल : www.tamil.cgpi.org अंग्रेजी : www.cgpi.org

किसान आन्दोलन के सामने कुछ सवाल

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव, लाल सिंह का मज़दूर एकता लहर के साथ साक्षात्कार

हिन्दी, पंजाबी और अंग्रेजी में उपलब्ध
(कीमत 25 रू. और डाक खर्च 20 रू.)

निम्नलिखित पते पर मनीआर्डर या बैंक ट्रांसफर करें
लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कालका जी, नई दिल्ली, खाता संख्या : 20066800626, ब्रांच कोड : 00974, IFSC: MAHB0000974

संपर्क करें :– ई–392, लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, संजय कालोनी, ओखला फेस–2, नई दिल्ली – 110020, फोन : 9810167911, 9868811998

मज़दूर एकता लहर
हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट मज़दूर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23
Posting Date at DLPSO, 16 & 17 Feb, 2022 Date of publish - 16 Feb, 2022

To .....
.....
.....
.....
.....
.....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक–मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020
email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :
ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp
9868811998

विस्थापन के ख़िलाफ़ ओडिशा के गांववासियों का विरोध :

जिंदल स्टील प्लांट से आजीविका को ख़तरा

14 जनवरी को पुलिस ने ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले के एक गांव ढिंकिया के निवासियों पर हमला किया। पुलिस द्वारा 15 से अधिक गांववासियों को गिरफ़्तार किया गया है और कई अन्य छिपे हुए हैं। गांव से एक किलोमीटर से भी कम दूरी पर पुलिस की एक टुकड़ी तैनात कर दी गई है।

जिंदल बिजनेस ग्रुप के जे.एस.डब्ल्यू. उत्कल स्टील लिमिटेड द्वारा स्थापित किए जाने वाले स्टील प्लांट का गांववासी विरोध कर रहे हैं। उन्हें अपने पान के बागों से विस्थापित होने का डर है, जो उनकी आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है। ढिंकिया की उपजाऊ भूमि और समुद्र–तटीय वातावरण पान की खेती के लिए बहुत अनुकूल है और काजू जैसी नकदी फ़सल उगाने के लिए भी उत्तम है। यह किसानों की आय का मुख्य स्रोत है। कंपनी के प्रस्तावित स्टील प्लांट के लिए 2,950.31 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है, जिसमें से 30 फ़ीसदी ज़मीन ढिंकिया से हासिल करने की योजना है।

दिसंबर 2021 में, ओडिशा सरकार ने लगभग 11,000 लोगों की आबादी वाले ढिंकिया ग्राम पंचायत में से मौजूदा एक गांव के अलावा, तीन नए राजस्व गांव बनाए। कई निवासियों ने उस समय इस कार्यवाही का विरोध किया था, यह जानते हुए कि सरकार इस कार्यवाही का उपयोग जिंदल परियोजना के ख़िलाफ़ जन–विरोध को तोड़ने के लिए कर रही है। यह स्पष्ट रूप से परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए "फूट डालो और राज करो" की नीति है।

दिसंबर 2021 के अंत से 14 जनवरी, 2022 की पुलिस की कार्रवाई तक, ढिंकिया के निवासी चौबीसों घंटे पहरा दे रहे थे, प्रशासन के प्रवेश को रोक रहे थे और प्रस्तावित स्टील प्लांट का विरोध कर रहे थे।

प्रदर्शनकारियों को इस बात की गहरी चिंता है कि उनकी आजीविका के नुक़सान की भरपाई कैसे की जाएगी। जो विस्थापित नहीं होने वाले हैं, उन्हें भी औद्योगिक प्लांट से पानी के दूषित होने का डर है।

जनवरी में, जिला प्रशासन ने पान के कई बागानों को जबरदस्ती नष्ट कर दिया, जो गांववासियों की आजीविका का पारम्परिक स्रोत थे। प्रशासन ने भूमि के कुछ हिस्से को सरकारी रिकॉर्ड में 'वनभूमि' के रूप में वर्गीकृत कर दिया। पहले चरण में नष्ट करने के लिए चिन्हित पान के 857 बागों में से 671 को जनवरी के अंत तक नष्ट कर दिया गया था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों में से एक यह थी कि राज्य सरकार अंतिम मंजूरी देने के लिये, वन अधिकार अधिनियम (एफ.आर.ए.) 2006 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेगी। परन्तु राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित नहीं किया है कि प्रभावित लोगों को एफ.आर.ए. के तहत मुआवज़ा दिया जाए।

जे.एस.डब्ल्यू. ने अपने पुनर्वास पैकेज में अधिग्रहीत भूमि के प्रति 0.01 एकड़ के लिए 17,500 रुपये के मुआवजे की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त, उसने नष्ट किये गये पान के प्रति बागान के लिए 50,000 रुपये का बोनस प्रस्तावित किया है, चाहे उसका आकार कुछ भी हो। प्रत्येक परिवार के एक युवा को प्लांट में नौकरी देने का भी प्रस्ताव है।

ढिंकिया के निवासियों ने कंपनी द्वारा दिए गए मुआवज़े को इस आधार पर ख़ारिज़ कर दिया है कि यह एकमुश्त मुआवज़ा उनकी मासिक कमाई के नुक़सान की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसके अलावा, उनके अनुभव ने उन्हें पहले ही सिखाया है कि इस तरह के प्रस्ताव अक्सर लागू नहीं किये जाते हैं। पैसे और नौकरियों में मुआवज़े के वादे ज्यादातर कागजों पर होते हैं परन्तु कार्यान्वयन के दौरान उनकी अनदेखी की जाती है।

इसके अलावा, गांववासियों का एक डर यह भी है कि अगर वे भूमि की मालिकी के कागज़ात नहीं दिखा पाये तो उन्हें मुआवज़े से वंचित कर दिया जाएगा। पीढ़ियों से अपनी ज़मीन पर खेती करने के बावजूद, उनमें से अधिकांश लोगों के पास अपनी ज़मीन पर मालिकाना हक़ नहीं है। वे जानते हैं कि उन्हें भूमिहीन घोषित कर दिया जाएगा, जैसा कि प्राकृतिक आपदाओं के होने पर, उनके साथ पहले भी कई बार हो चुका है।

17 साल पहले इसी तरह के संघर्ष में सबसे आगे रहने वाले कई गांववासियों ने उस विरोध की सफलता से हिम्मत जुटाई है। उस समय, दक्षिण कोरियाई विशाल स्टील कंपनी पॉस्को ने इस क्षेत्र में इसी तरह का संयंत्र बनाने का फ़ैसला किया था। ढिंकिया के निवासियों द्वारा 12 साल के विरोध के बाद, 2017 में पॉस्को को इस परियोजना को वापस लेना पड़ा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अंततः इसकी पर्यावरण मंजूरी को रद्द कर दिया। ओडिशा सरकार ने बाद में उसी ज़मीन को जे.एस.डब्ल्यू. को हस्तांतरित कर दिया।

इस बीच, ढिंकिया के निवासियों को पुलिस द्वारा उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस किसी भी समय उनके घरों में प्रवेश कर रही हैं और महिला सदस्यों सहित परिवारों को परेशान कर रही है। मीडिया से बात करने पर उन्हें जेल भेजने की धमकी दी गई है।

इस सबके बावजूद, गांववासी विस्थापित किये जाने के क़दम के ख़िलाफ़ अपने प्रतिरोध में डटे हुये हैं और राज्य के दमन का सामना करने के लिए तैयार हैं।
http://hindi.cgpi.org/21843

जिला प्रशासन ने ढिंकिया में सैंकड़ों पान बागानों को नष्ट किया

ढिंकिया गांव के निवासियों पर पुलिस का बर्बर लाठीचार्ज

गांववासियों के अधिकारों की रक्षा में छात्र

देश और दुनिया के कई चिंतित नागरिकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने ढिंकिया में विस्थापन के ख़तरे का विरोध कर रहे गांववासियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन पर रोशन डाली है और इसका विरोध किया है।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सोनीपत में ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के 500 से अधिक संबंधित छात्रों ने ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में, जे.एस.डब्ल्यू. की प्रस्तावित एकीकृत इस्पात परियोजना के कारण मानवाधिकारों के उल्लंघन और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों पर तत्काल बातचीत में शामिल होने के लिए, सज्जन जिंदल को पत्र लिखा था।

सज्जन जिंदल को पत्र पर हस्ताक्षर करके गांववासियों का समर्थन करने के लिये अपने सहपाठियों से आग्रह करते हुए, छात्रों ने लिखा :

"ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में जिंदल साउथवेस्ट स्टील की प्रस्तावित एकीकृत स्टील परियोजना की खातिर, ओडिशा में राज्य के अधिकारियों द्वारा सैकड़ों महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के साथ क्रूरता की जा रही है। उनकी ग़लती है एक ऐसी परियोजना का शांतिपूर्वक विरोध करना, जो उन्हें अपनी पारंपरिक आजीविका से वंचित कर देगी और वहां के अनेक प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध वातावरण को नष्ट कर देगी।"

पत्र आगे अन्य गंभीर चिंताओं को उठाता है। इनमें शामिल हैं – वनों में रहने वाले समुदायों के वैध अधिकारों का उल्लंघन, स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति के असूलों का उल्लंघन और जिंदल स्टील परियोजना के चलते, अपने जंगल और निजी ज़मीन के हड़पे जाने के ख़िलाफ़ शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए गांववासियों पर पुलिस और सरकारी एजेंसियों द्वारा क्रूरता।

पत्र में बताया गया है कि जे. एस.डब्ल्यू. परियोजना को आवश्यक वैधानिक अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। जे. एस.डब्ल्यू. के प्रस्तावित पुनर्वास और मुआवज़ा पैकेज की अपर्याप्तता के बारे में बताया गया है। पत्र के अंत में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पूरी प्रक्रिया ने "अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्तियों के एक बड़े समुदाय को नज़रंदाज़ कर दिया है और गैर–सहमति वाले स्थानीय लोगों के एक महत्वपूर्ण जनसमुदाय की इच्छा को उचित सम्मान देने से इंकार किया है।" आंदोलित छात्रों की संख्या जो शुरू में 25 थी, अब बढ़कर 500 हो गई है। इस विरोध में कई अन्य छात्रों के शामिल होने की भी संभावना है। छात्र अब समर्थन के लिए अन्य विश्वविद्यालयों से भी संपर्क कर रहे हैं।